



पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 19-7-2011 में अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन के नियमों एवं प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था सभी पाठ्यक्रमों के सभी कक्षाओं के नियमित तथा बैकलॉग विद्यार्थियों के लिए है।
2. (i) परीक्षार्थी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि, अंकसूची जारी होने की तिथि या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम जारी होने की तिथि जो पहले हो, से 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन-पत्र सहायक कुल सचिव (परीक्षा) को प्रस्तुत कर सकता है।
(ii) छात्र आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप अपने अध्ययन संस्था से अथवा वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
(iii) छात्र अधिकतम तीन प्रश्न पत्रों में ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।
(iv) पुनर्मूल्यांकन का शुल्क विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार देय होगा। वर्तमान में एक प्रश्नपत्र के पुनर्मूल्यांकन का शुल्क रुपये 350/- निर्धारित है। शुल्क का ड्राफ्ट कुलसचिव मा.च.रा.प. एवं सं. वि.वि. के पक्ष में भोपाल में देय होगा।
3. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप छात्र के अंक चाहे बढे या अपरिवर्तित रहें, किसी भी दशा में शुल्क न तो वापस किया जायेगा न कहीं आगे समायोजित किया जायेगा।
4. यदि निर्धारित वांछित शुल्क जमा नहीं किया गया है तो आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा। इसी तरह समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र एवं अपूर्ण आवेदन पत्र भी अमान्य किए जायेंगे।
5. निम्नलिखित में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है—
प्रोफेशनल स्किल समूह/व्यावसायिक प्रवीणता समूह के सभी प्रश्नपत्र यथा, मेजर एवं मायनर प्रोजेक्ट, डिजिटेशन, आन्तरिक/सतत मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, पी.पी. स्किल, समर असाइनमेंट, इन्टरशिप, टर्मवर्क आदि।
उक्त के लिये पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्र आवेदन न करें।
6. पुनर्मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन (मुख्य परीक्षा को छोड़कर) एक विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।
7. पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्तांक में परिवर्तन तभी होगा जब पुनर्मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए अंक प्राप्तांक से अधिक होगा। अंक परिवर्तन कर परिणाम में शामिल किया जायेगा।
8. अगर पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अंकों में वृद्धि पूर्णांक के 20 प्रतिशत से अधिक हो तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दूसरे वरिष्ठ शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। वरिष्ठ मूल्यांकक को मूल प्राप्तांक तथा पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांकों की जानकारी दी जायेगी। वरिष्ठ मूल्यांकक द्वारा दिये गये अंक ही पुनर्मूल्यांकन के अंक माने जायेंगे।

(.....2)

(2)



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

9. पुनर्मूल्यांकन में प्राप्तांक 10 प्रतिशत से कम हो फिर भी यदि पुनर्मूल्यांकन का औसत अंक देने पर प्रत्याशी कृपांक का पात्र हो जाता है, तो उसे पुनर्मूल्यांकन के परिवर्तित अंक दिया जायेगा, बशर्ते कि
 - (i) प्रत्याशी नियमित छात्र हो,
 - (ii) केवल एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण हो एवं उसी प्रश्न पत्र में पुनर्मूल्यांकन करवाया गया हो, और
 - (iii) पुनर्मूल्यांकन के पूर्व सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अंकों को मिलाकर एग्रीगेट के लिए आवश्यक (45%) अंक प्राप्त किये हो।
10. पुनर्मूल्यांकन से परिवर्तित अंक विद्यार्थी की श्रेणी तथा प्रवीणता की गणना में प्रयोग किये जायेंगे।
11. पुनर्मूल्यांकन में अंक परिवर्तित होने पर ही संशोधित नई अंकसूची प्रदान की जायेगी। अंक न बदलने पर नई अंकसूची नहीं प्रदान की जायेगी।
12. विद्यार्थी अगली परीक्षा का फार्म भरने के लिए पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की प्रतीक्षा न करें और फार्म निर्धारित अवधि में भर दें। पुनर्मूल्यांकन के कारण उन्हें परीक्षा फार्म भरने के लिए किसी भी तरह की छूट नहीं दी जायेगी।
13. अगर विद्यार्थी उसी/उन्हीं प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठता है जिसमें/जिनमें उसने पुनर्मूल्यांकन कराया है तो पुनर्मूल्यांकन तथा परीक्षा दोनों प्राप्तांकों में से जो अधिक होगा वही अंक प्राप्त होगा।
14. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की सूचना संबंधित अध्ययन संस्थाओं को भेजी जावेगी जो छात्रों को सूचित करेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय
2. कुलसचिव, मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय
3. परीक्षा शाखा, मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय
4. गोपनीय शाखा, मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय
5. सहा. कुलसचिव, अ.के. पंजीयन शाखा, मा.च.रा.प. एवं संचार विश्वविद्यालय
6. प्रमुख वाणिज्य विकास, एम.पी. ऑनलाईन लि. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
7. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव